

संकल्प

विषय:— स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक/रीडर एवं व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति /प्रोन्नति होने तक के लिये संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

राज्य के राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में शैक्षणिक पदों पर भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप दंत चिकित्सक शिक्षकों की अत्यन्त कमी है, जिसके कारण दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में B.D.S. पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त होने की सम्भावना है।

2. राज्य के राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में B.D.S. पाठ्यक्रम के सीटों पर नामांकन क्षमता को बनाये रखने एवं M.D.S. पाठ्यक्रम के सीटों के सृजन हेतु आवश्यकता के अनुरूप दंत चिकित्सक शिक्षकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना आवश्यक है।

3. राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा में दंत चिकित्सक शिक्षकों की अत्यन्त कमी होने के कारण भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है एवं सत्र-2026-2027 से B.D.S. पाठ्यक्रम के 100 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी है। अतः राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों की मान्यता बनाये रखने हेतु तत्काल संविदा के आधार पर दंत चिकित्सक शिक्षकों का नियोजन किया जाना अनिवार्य है।

4. राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में व्याख्याता/ सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत एवं रिक्त कुल-103 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अध्यापना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को भेजी गयी है, जिसकी अनुशंसा प्राप्त होने में समय लगने की सम्भावना है।

5. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1003 दिनांक-22.01.2021 के द्वारा विशेष परिस्थिति में स्थायी पदों के रिक्तियों पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से संविदा नियोजन करने हेतु प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राज्य के राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक, रीडर/सह-प्राध्यापक एवं व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक-15.09.2026 की बैठक में मद संख्या-08 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1003 दिनांक-22.01.2021 के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक के कुल-25 पदों, सह-प्राध्यापक/रीडर के कुल-53 पदों एवं व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक के रिक्त कुल-76 पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिये संविदा के आधार पर नियोजन करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग (प्रशाखा-17) को भी उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

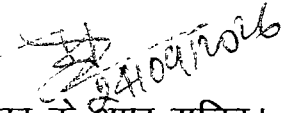
(मृणायक दास)

सरकार के अपर सचिव।

(65)

ज्ञापांक-17 / विविध1-120 / 2026 - 1259/17) / पटना दिनांक-24-09-26

- प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्राचार्य, सभी राजकीय दत्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक-15.09.2026 की बैठक के मद सख्या-08 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
MK